स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

ई पी ए बी एक्स 011-23717391-98
फैक्स 011-23713412/23739944
वेबसाइट : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं.78/ईपीएस/2018 **दिनांक: 19 अप्रैल, 2018**

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्य सचिव,बेंगलुरु
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
   कर्नाटक,बेंगलुरु।

विषय: कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2018- सवेतन अवकाश दिया जाना-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग ने अपने प्रेस नोट दिनांक 27 मार्च, 2018 के द्वारा कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अनुसूची की घोषणा की है। इस संबंध में, मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिए जाने का उपबंध किया गया है। धारा 135ख नीचे पुन:प्रस्तुत की गई है :-

"135ख मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

1. किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या कोई बड़ी हानि हो सकती है।

2. उपर्युक्त उपबंध अपेक्षा करते हैं कि ऐसे सभी निर्वाचकों जो स्थापनों और दुकानों के कर्मचारी हैं तथा वे भी, जो पारी के आधार पर काम करते हैं, उनको उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा जहां साधारण निर्वाचन आयोजित किया जाना है। इसके अलावा, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र का सामान्य रूप में निवासी हो और एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो लेकिन साधारण निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर अवस्थित औद्योगिक उपक्रम या स्थापन में सेवारत/नियुक्त हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर काम करने वाले वे निर्वाचक भी, जिनमें अनियत मजदूर शामिल हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख (1) के अंतर्गत दिए गए सवेतन अवकाश के हितलाभ के हकदार होंगे।

3. दैनिक मजदूर/अनियत कामगार मतदान दिवस के दिन अवकाश और मजदूरी के भी हकदार हैं जैसा कि लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 135ख में उपबंध किया गया है।

4. आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जाएं और उनकी एक प्रति आयोग के सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु पृष्ठांकित की जाए।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(सुमित मुखर्जी)

प्रधान सचिव